न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व विविध : 20/2017

जी.सी.एम.एस. : 2017/00545

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
शकुंतलादेवी बेवा श्री महेन्द्रकुमार जाति माली निवासी बस स्टेण्ड, तहसील जैतारण एवं जिला पाली।		1. अभयसिंह 2. दयालसिंह 3. भारतसिंह पुत्रगण स्व. श्री सुमेरसिंह 4. शिवसिंह पुत्र श्री मूलसिंह 5. रूपसिंह पुत्र श्री मूलसिंह समस्त जातिगण राजपूत निवासीगण सिणला तहसील जैतारण जिला पाली। 6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 20(2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– 1. प्रार्थीया की ओर से श्याम सुन्दर पंचारिया

2 . अप्रार्थीगण की ओर से मोहम्मद शरीफ काजी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26/8/21

वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 20(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कृषि भूमी आवंटन नियम 1970 वास्ते निरस्त कराने रेगुलाईज आदेश दिनांक 28.04.1970 जो पत्रावली संख्या 643/1970 में तहसीलदार जैतारण द्वारा पारित किया गया को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया मूल रेकर्ड तलब किया गया एवं बहस उभयपक्ष द्वारा लिखित में पेश की गई जो शामिल मिसल की गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में उल्लेख किया गया कि प्रार्थिया के पति महेन्द्र कुमार के ग्राम सिणला व डिगरना में खनिज पट्टा संख्या 98 है जिसमें अलग–अलग खसरा नंबर स्थित है। ग्राम सिणला के खसरा नंबर सरकारी खाते के 504 ,503, 507, 511, 529, 521, 475, 469, 467, 464, 460, 433, 477, 479, एवं 424 कुल रकबा 571 बीघा भूमी लीज क्षेत्र की भूमी है डीगरना की भूमी 237 बीघा 11 बीस्वा लीज क्षेत्र की भूमी है। उक्त लीज संख्या 98 के खसरा नंबर अंकित करते हुए राजस्व नक्शे के तरमीम की हुई है। ग्राम सिणला के खसरा नंबर 651, 424, 433, की खातेदारी भूमी काबिल काश्त जो प्राईवेट खातेदारी की भूमी है प्रार्थिया के लीज क्षेत्र खसरा नंबर 433 की 92 बीघा भूमी राजस्व नक्श से प्रार्थी के लीज क्षेत्र में मौके पर स्थित है। पूर्व में खसरा नंबर 433 की भूमी में कोई पट्टा नम्बर लीज जारी करने के वक्त नहीं था न ही नक्शे में कोई अलग नम्बर प्रार्थीया के लीज क्षेत्र की भूमी खसरा नंबर 433 में था। पटवार हल्का जैतारण के पत्रांक 3663 दिनांक 4.12.2007 को जरिये खसरा नंबर 433 के राजस्व नक्शे में 433/2 रकबा 5 बीघा भूमी अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज की गई एवं मौके पर तरमीम की गई जो भूमी नाकाबिल काश्त है पटवार हल्का द्वारा मौके पर बिना जांच किए भौतिक सत्यापन किए ही उक्त भूमी की लीज क्षेत्र में गलत तरमीम कर इन्द्राज की गई है। तथा अप्रार्थीगण द्वारा लीज क्षेत्र में हस्तक्षेप करने पर नकले प्राप्त की तो पता चला कि भूमी पत्रा[illegible] आदेश के जरिये रेगूलाईज की गई है तो नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन [illegible]। एवं तहसील में रेकर्ड की नकले नहीं मिलने पर कार्मिकों [illegible] रेकर्ड में नहीं है उक्त नियमितीकरण के आदेश प्र[illegible] के बाद अप्रार्थी [illegible] 1 से 5 व तहसीलदार जैतारण के बिना आदेश के ही [illegible]वार हल्का द्वारा नामा[illegible] सं. 119 दर्ज किया इस प्रकार आदेश के अभाव में [illegible]मितीकरण आदेश का [illegible] रेकर्ड में इन्द्राज किया गया जबकि ऐसा कोई आदेश ही जारी नहीं हुआ था न ही अस्तित्व में रहा है इस वजह से खसरा नंबर 651, 624, 433 के रकबा 12 बीघा 6 बीस्वा भूमी को नियमितीकरण किए जाने की प्रविष्टि नामान्तरकरण संख्या 119 के जरिये राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:40:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, पाली

क्रमशः......................2

जमाबंदी में अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी जो विधिक आदेश के अभाव में निरस्त योग्य है तथा नामान्तरकरण संख्या 119 की कार्यवाही दोषपूर्ण होने से अवैध व शुन्य है जो निरस्त फरमाई जावे। गैर मुमकिन पथरीली भूमी है जो मौके पर काश्त योग्य नहीं है गैर मुमकिन भूमियों को भू राजस्व अधिनियम अथवा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में आवंटन/नियमन का प्रावधान नहीं है फिर भी तहसीलदार द्वारा आंवटित कर दी गई है जो निरस्त योग्य है 433/2 गलत तरीके से तरमीम की गई है तथा राजस्व अधिनियम में भी गैर मुमकिन पहाड़ी भूमी का नियमन करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को नहीं था, केवल काश्त योग्य भूमी को ही नियमितीकरण करने का अधिकार था अगर फिर भी किया गया है तो धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अवैध व शुन्य है अप्रार्थी के पिता नियमितीकरण के वक्त भूमी हीन काश्तकार नहीं थे उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण के पिता मूलसिंह पुत्र गोविन्दसिंह के नाम ग्राम सिणला में खसरा नंबर 651, 424, 433 किस्म गै.मु. मगरी की भूमी का नियमितीकरण आदेश निरस्त फरमाया जावे। तथा उसकी पालना में पारित नामान्तरकरण संख्या 119 भी निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने लिखित बहस में निवेदन किया कि खनन पट्टा संख्या 98 महेन्द्र कुमार के नाम जारी किया गया व उसकी मृत्यु के पश्चात खनन पट्टा 25.1.2013 को जारी होना बताया है। प्रथम बार खनन पट्टा 26.6.89 को हुआ जो जमाबंदी में अंकन होना बताया है। जबकि अप्रार्थीगण के पिता के नाम खसरा नंबर 651, 624, 433 दिनांक 28.4.1970 को पत्रावली संख्या 463/70 तथा 146/70 के जरिये भूमी नियमन की गई। तथा उस समय से ही अप्रार्थी के पिता के नाम खातेदारी दर्ज जरिये नामान्तरकरण संख्या 119 के हो गई थी जो गिरदावरी से स्पष्ट है इतने लम्बे समय लगभग 35 वर्षों के बाद नियमन को प्रश्नगत करने का विधिक अधिकार प्रार्थी को नहीं है। खनन क्षेत्र में आ जाने से भूमी का नियमन चेलेन्ज योग्य नहीं हो जाता है अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमी का विभाजन करवाया अलग खाता करवाकर तरमीम कराई गई। नियमन विधीसम्म्त है। गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील की नकले पेश की है। जिसके अनुसार भूमी काश्त योग्य है महेन्द्र कुमार के नाम जारी खनन पट्टा जो बाद में उनकी पत्नी शकुन्तला के नाम हुआ दोनां की लीज की प्रति संलग्न नहीं की है। खनन पट्टा प्राप्त करने से पूर्व अप्रार्थीगण या उनके पिता को नहीं सुना गया न सहमति ही प्राप्त की गई प्रार्थी पिडित पक्ष नहीं है भूमी खनन क्षेत्र में आती भी है तो सुनवाई के अलग विधिक प्रावधान है उक्त नियमितीकरण की गई भूमी ही अप्रार्थीगण की रोजी रोटी का जरिया है बहुत रूपये खर्च कर उसे उपजाऊ बनाया तथा विधी अनुसार नियमन हुआ है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष की लिखित बहस का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पिता के नाम सन 1970 में तहसीलदार जैतारण द्वारा भूमी का नियमितीकरण मिसल संख्या 463/70, 146/70 में आदेश पारित किया जाकर किया गया जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 119 दिनांक 05.8.1971 पारित किया गया तथा प्रार्थीया के पति के नाम लीज 25.6.1989 को जारी की गई तथा प्रस्तुत अपील लीजी महेन्द्र सिंह की मृत्यु पर्यन्त उनकी पत्नी शकुन्तला द्वारा वर्ष 22.1.2008 को पेश की गई इतने लम्बे समय बाद उक्त नियमितीकरण को खारिज कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया इतने लम्बे समय बाद विलम्ब से पेश करने का स्पष्टीकरण ही पेश नही किया गया लीजी की पत्नी द्वारा उसके मरणोपरान्त नियमितीकरण को खारिज कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश क्यों किया गया इसका कोई विधिक औचित्य भी उल्लेखित नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण के पिता 1971 से खातेदार दर्ज हो गए थे। जिन्हें इस प्रार्थना पत्र के द्वारा खातेदारी अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है अगर प्रार्थी अप्रार्थीगण की उक्त भूमी लीज में आजाने से लेना चाहता है तो विधी में इसका अलग से प्रावधान है। जिनके अनुसार प्रार्थी उक्त भूमी विधिक रूप से ले सकता है प्रार्थी द्वारा गैर मुमकिन मगरी की भूमि [illegible] नियमितीकरण करना अवैधानिक बताया है लेकिन इस बाबत विधिक प्रावधानों का [illegible]लेख एवं प्रावधानों की प्रतियां भी पेश नहीं की गई जिससे यह [illegible] विरूद्ध किया गया है ऐसी स्थिति में नियमितीकरण [illegible] सकता है अप्रार्थीगण के पिता संवत 2030 से ही खातेदार दर्ज है जो पत्रावली [illegible] जमाबंदी से स्पष्ट है तथा मूलसिंह के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमी उसके पुत्र के [illegible] जरिये नामान्तरकरण संख्या 544 दिनांक 5.5.17 के दर्ज हुई जमाबन्दी संवत 2063–66 की प्रति संलग्न से स्पष्ट है। तरमीम कब्जा अनुसार संवत 01.12.2007 में की गई है जो तहसीलदार जैतारण के आदेश

क्रमशः.....................3

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2022.01.22 11:40:45 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक/भू.अ./07/3663 दिनांक 01.12.2007 की पालना में रूबरू मौतबिरान के पटवार हल्का डीगरना व भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालु के द्वारा की गई है जो विधि सम्मत है। खनन पट्टा की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक खनिज अभियन्ता सोजत सिटी द्वारा उक्त पट्टा 14.2.94 से तथा संविदा का निस्पादन 20.5.95 से किए जाने के 10 वर्ष की अवधी को 20 वर्षों किए जाने का आदेश खनन विभाग द्वारा जारी किया हुआ पत्रावली संलग्न है। अप्रार्थी के पिता का कब्जा वर्ष 1970 से पूर्व से ही था तहसीलदार जैतारण द्वारा पटवार हल्का डिगरना से प्राप्त कर नियमितीकरण आदेश की प्रति इस न्यायालय को प्रेषित की है उसमें स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के पिता मूलसिहं पुत्र गोविन्द सिंह के नाम नियमितीकरण किया गया था तथा धारा नियम 20(2) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 जो कि इस प्रकार हैः– [Upon such allotment, the allottee] shall be bound by the conditions of allotment laid down in these rules and Khatedari right shall accrue to him as if his case was of allotment undr these rules. तथा आंवटन की शर्त संख्या 4 के अनुसार यदि आवंटन धोखे, दुर्व्यपदेशन ओर नियमों की अवहेलना की जाकर किया गया है तो आवंटन/नियमन निरस्त किया जा सकता है। परन्तु अपीलांट इस प्रकरण में ऐसा साबित करने में असफल रहा है कि आवंटन धोखे, दुर्व्यपदेशन या नियमों की अवहेलना की जाकर किया गया है अतः इस नियमन को आज 50 वर्षों बाद निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है अप्रार्थीगण के पिता मूलसिंह जी भूमी–हीन काश्तकार नही थे ऐसा साक्ष्य सबूत भी अधिवक्ता अप्रार्थी पेश करने में असफल रहे है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के पिता मूलसिंह पुत्र गोविन्द सिंह के पक्ष में मिसल संख्या 463/1970 के जरिये खसरा नंबर 433 में 5 बीघा भूमी का नियमन किया गया तथा अप्रार्थी को उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 119 दिनांक 5.8.1971 के द्वारा खातेदार दर्ज किया गया उसे यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26/8/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.22 11:40:45 IST
Reason: SelfAttested